(ग)

(3)

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
(जिला शस्त्र शाखा)
–: आदेश :–

30-04-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–939/2008 में आवेदक **श्री मनोज कुमार सिंह**, पिता–श्री राम बिलास सिंह, सा0–बी0–98, पुलिस कॉलोनी, अनिसाबाद, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि खगौल रोड स्थित पुलिस कॉलोनी के मोड़ पर उनका सुहागन वस्त्रालय–सह–निशु ड्रेसेज नामक कपड़े की दुकान है। वे विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार भी करते हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में उनके कपड़ा दूकान पर अपराधियों द्वारा लूट की घटना का अंजाम दिया गया था। उक्त घटना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक–47/गो0, दिनांक–10.01.2011 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुशंसित कर प्रेषित किया गया। **थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक एक व्यवसायी हैं तथा उनके कपड़े की दुकान पर अज्ञात अपराधियों द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसके संदर्भ में गर्दनीबाग थाना कांड सं0–65108, दिनांक–10.04.2008 की धारा–341/323/427/379/34 भा0द0वि0 दर्ज है। अतः आवेदक के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु आवेदक को एक एन0पी0बोर रिवाल्वर हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है।**

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री मनोज कुमार सिंह**, पिता–श्री राम बिलास सिंह, सा0–बी0–98, पुलिस कॉलोनी, अनिसाबाद, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण

N. Sarvana Kumar
30/4/13

फोन नं0 0612–2219545 (का0)

बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Narayana kumar 25/4/13
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

Narayana kumar 30/4/13
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।